

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,  
आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 02/2016

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ।

-बनाम-

सुशील कुमार पुत्र स्व. श्री चंदगीराम जाति जाट, उम्र 35 साल निवासी खानपुर थाना सिंघाना,  
जिला झुंझुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3/2 खण्ड (ख) (5)  
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

1. सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ----- सरकार की ओर से।

-निर्णय-

दिनांक 30.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 3.12.2015 को गैर सायल सुशील कुमार पुत्र स्व. श्री चंदगीराम जाति जाट, उम्र 35 साल निवासी खानपुर थाना सिंघाना, जिला झुंझुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि सुशील कुमार पुत्र स्व. श्री चंदगीराम जाति जाट, उम्र 35 साल निवासी खानपुर थाना सिंघाना, जिला झुंझुनू। जिला झुंझुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश व्यक्ति है। यह ग्राम कुहाड़वास एक गुट बनाकर जुआ-सट्टा का धन्धा करता है तथा अनावश्यक ही अपराधिक गतिविधियों से कस्बा बुहाना एवं आस-पास के इलाका में आम नागरिकों को भयभीत व आतंकित कर रखा है, इसकी अपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जिसके द्वारा जुआ सट्टा के अपराध में लोगों को फंसाया जा रहा है। इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट देने से डरता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसकी अपराधिक गतिविधियों से युवा पीढ़ी व समाज पर विपरित असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ अब तक 3

49  
अति. जिला मजिस्ट्रेट  
झुंझुनू

अभियोग दर्ज किये गये हैं जिनमें से 3 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपराधी मानकर दण्डित किया गया है इसके जिले की सीमाओं में रहने से अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एवं दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. अभियोग संख्या 285/2006 दिनांक 25.11.06 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना बुहाना में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 212/06 दिनांक 25.11.06 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 3.3.2008 को दोषी करार दिया जाकर 100 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
2. अभियोग संख्या 68/2010 दिनांक 24.3.10 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना बुहाना में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 45/10 दिनांक 27.3.2010 कित्त कर न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.4.2010 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 500 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
3. अभियोग संख्या 146/2015 दिनांक 28.7.2015 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना बुहाना में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 87/15 दिनांक 31.7.2015 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.8.2015 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार उक्त सुशील कुमार पुत्र स्व. श्री चंदगीराम जाति जाट, उम्र 35 साल निवासी खानपुर थाना सिंघाना का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 19.9.2017 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे इन्कार करने पर गवाह श्री राममोहन तत्कालीन ए.एस.आई पुलिस थाना सिंघाना, श्री रामोतार एच०सी पुलिस थाना सिंघाना के बयान लिए जाकर बहस अन्तिम सुनी गई।

अति. जिला मजिस्ट्रेट  
शुजानू

दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना सिंघाना में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं-

1. अभियोग संख्या 285/2006 दिनांक 25.11.06 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना सिंघाना में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 212/06 दिनांक 25.11.06 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 03.3.2008 को दोषी करार दिया जाकर 100 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
2. अभियोग संख्या 68/2010 दिनांक 24.3.10 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना सिंघाना में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 45/10 दिनांक 27.3.2010 किता कर न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.4.2010 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 500 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
3. अभियोग संख्या 146/2015 दिनांक 28.7.2015 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना सिंघाना में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 87/15 दिनांक 31.7.2015 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.8.2015 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि० 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 3 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

विद्वान वकील गैर सायल का तर्क है कि किसी व्यक्ति विशेष की कोई शिकायत नहीं है तथा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय नें दोषी माना है। पुलिस द्वारा अभियान चलाकर आरपीजीओ अधिनियम के अपराध का कोटा पूर्ति हेतु गैरसायल के खिलाफ चालान किया है। जनता को गैर सायल से कोई भय नहीं है तथा अब ताजा किसी प्रकार का कोई प्रकरण गैर सायल के विरुद्ध दर्ज नहीं हुआ है। अतः गैरसायल के विरुद्ध विचाराधीन इस्तगासा ड्रॉप फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल सुशील कुमार पुत्र स्व. श्री चंदगीराम जाति जाट, उम्र 35 साल निवासी खानपुर थाना सिंघाना, जिला झुंझुनू के खिलाफ

48  
अति. जिला मजिस्ट्रेट  
झुंझुनू

पुलिस थाना सिंघाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोग संख्या 285/2006 दिनांक 25.11.06 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना सिंघाना में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 212/06 दिनांक 25.11.06 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 03.3.2008 को दोषी करार दिया जाकर 100 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियोग संख्या 68/2010 दिनांक 24.3.10 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना सिंघाना में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 45/10 दिनांक 27.3.2010 किता कर न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.4.2010 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 500 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अभियोग संख्या 146/2015 दिनांक 28.7.2015 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना सिंघाना में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 87/15 दिनांक 31.7.2015 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.8.2015 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। गैर सायल सुशील कुमार राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 3 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। जिसका लगातार ऐसा राज० आबकारी अधिनियम के तहत अपराध करना आवश्यक नहीं है। धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यू होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर्ता व चालान पेशकर्ता का आकर साबित करना आवश्यक नहीं है तथा राज० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधो की पुनरावृत्ति में पुनः लगकर युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हे दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में-गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (11) में अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल सुशील कुमार को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूँ।

अतः गैरसायल सुशील कुमार पुत्र स्व. श्री चंदगीराम जाति जाट, उम्र 35 साल निवासी खानपुर थाना सिंघाना, जिला झुन्झुनू को राज० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख)

45  
अति. जिला मजिस्ट्रेट  
झुन्झुनू

(II) के तहत 1 माह की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा तथा गैर सायल सुशील कुमार पुत्र स्व. श्री चंदगीराम जाति जाट, उम्र 35 साल निवासी खानपुर थाना सिंघाना, जिला झुन्झुनू उक्त 1 माह की निष्कासित अवधि में जहाँ भी निवास करे, उस स्थानीय थानाधिकारी को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना थाना सिंघाना को देंगे तथा थानाधिकारी थाना पिलानी उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 30.01.2020 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

49  
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 30.1.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।



49  
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
झुन्झुनू